न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **32/2018 अपील (राजस्व)**

1. श्रीमती पतीबाई पुत्री स्व. हिरालाल जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती झमकु बाई पुत्री स्व. हिरालाल जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सुन्दर देवी पुत्री हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भागवन्ति देवी पुत्री हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. गोपाल पुत्र हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. गणपत लाल पुत्र हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. कोशल्या देवी पुत्री हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. कुसुम देवी पुत्री हिम्मतराम जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

——

प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हिम्मतराम जी पिता स्व. हिरालाल जी ब्राहम्ण निवासी—275/35 पारडा (गणेश नगर) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री विमल कुमार पिता श्याम सुन्दर जैन निवासी 302 भावना अपार्टमेन्ट अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
3. श्री सुनील चेलावत पिता शान्तिलाल जैन निवासी 57 आदिनाथ नगर, फतहपुरा उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती प्रमिला पत्नि दिगविजय श्रीमाली ब्राहम्ण, निवासी 160 नवरतन काम्पलेक्स बेदला रोड उदयपुर (राज.)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

—— **अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 795/दिनांक 04.01.2010 एवं नामान्तकरण सं. 894 तारीख फैसल 12.01.18 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित : श्री राजेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं.5

आदेश

दिनांकः—27.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौजा पायडा तहसील गिर्वा के खोले गये नामान्तकरण सं. 795 दिनांक 04.01.2010 एवं 894 दिनांक 12.01.18 के संबंध में निवेदन किया कि मौजा पायडा में आराजी नं. 623, 624, 805, 811, 813 किता 5 रकबा 0.5500 हे0 जिनके साबिक नं. 465मी, 465मी, 496, 492, 492 किता 5 रकबा 0.5500हे0 भूमि स्व. लखमीचन्द जी के नाम राजस्व रेकार्ड में रही। जिनकी मृत्यु पर उनके विधिक वारिसान उनके पुत्र हीरालाल जी पिता लखमीचन्दजी थे, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। श्री हीरालाल जी के वैध वारिसान लालीबाई, पतीबाई, झमकुबाई, हिम्मतराम होकर हिम्मतराम की कुल 6 सन्तान है। जिनके नाम सुन्दर देवी, भागवन्ती देवी, गोपाल, गणपत लाल, कौशल्या, कुसुम है। जिनमें से लालीबाई वर्तमान में फौत हो चुके है। प्रकरण में हिम्मतराम जी जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 है, शेष सारे वारीसान अपीलार्थीगण है। उक्त कुलिया कृषि भूमि मौरूसी व विरासती एवं पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थी सं. 1, 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के प्रत्येक के 1/3 हिस्से के हकदार होकर संयुक्त खातेदारी अधिकार रखते है तथा सभी एक ही खानदान के है तथा इनका आपस में अब तक कोई बटवाडा लिखित में नहीं हुआ है। मौके पर मौखिक बंटवाडा कर अपने हिस्से में काबिज होकर निर्विवाद रूप से कमा रहे है। उक्त सम्पत्ति मौरूसी होने से अपीलान्ट को सर्वप्रथम खरीदने का मौका रेस्पोडेन्ट द्वारा दिया जाना चाहिए था जो कि उन्होने नहीं दिया। अपीलान्टगण की बिना स्वीकृति से उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को बेच दी। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु संबंधित न्यायालय में धारा 53, 88, 188, 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 के तहत पेश किये जो विचाराधीन है। जिसमें समय लगने की संभावना है।

हीरालाल जी व उनकी पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद उक्त सारी आराजीयात अपीलान्ट सं. 1 से लेकर 2 तक विरासती वंशज के वारिस होने से इनके सभी के नाम से विरासत इंतकाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था। जो नहीं होकर मात्र उनके पुत्र हिम्मतराम अकेले के नाम का ही राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विरासत से नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। यहां तक की हीरालाल जी की पत्नि का नाम भी दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट सं. 1 व 2 का नाम दर्ज किये जाने हेतु संबंधित न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम विरासत से दर्ज होने से उनके द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त भूमि में से आराजी सं. 623 व 624 रकबा 0.1900 है. में से 0.1000हे. कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को विक्रय कर दी जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। विक्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट के मुकाबले नल एण्ड वोईड है। यदि भूमि बेचनी ही थी तो वारिसानों की राय मशवरा कर उनकी सहमति से बेच सकता था या उनके हिस्से तक ही बेचने का अधिकार था। उक्त विक्रय पत्र से खोले गये नामान्तकरण भी विधिक विपरीत है। अतः नामान्तकरण सं. 795 दिनांक 04.01.10 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराना फरमावे। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में धारा 53,88,188 का वाद विचाराधीन होते हुये उक्त आराजीयात में से 0.500हे. भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 श्रीमती प्रमिला पत्नि दिगविजय सिंह को बेचान कर इसके नाम का म्यूटेशन 894 दिनांक 12.01.18 को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया जो भी अपीलान्ट के मुकाबले बेअसर होकर शुन्य है तथा अपने आप में ही नल एण्ड वोईड होने से निरस्त कराया जाये। उक्त नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्टगणों को रेस्पोडेन्ट सं. 4 के द्वारा मौके पर आकर कहने पर हुआ। जिसकी जानकारी कर प्रमाणित प्रति दिनांक 10.07.18 व 30.07.18 को मिलने से सम्पूर्ण जानकारी हुई। जिस पर तत्काल अधिवक्ता से सम्पर्क कर राय लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 को जो विक्रय किया गया है। वह दौराने दावा किया गया

है। उक्त विचाराधीन दावे में रेस्पोडेन्ट सं. 2 स्वयं पक्षकार संयोजित है। इसलिए उसे भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही अधिनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण दर्ज करने का अधिकार था। क्योकि तहसीलदार गिर्वा भी उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित था। उनके द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तकरण 894 दिनांक 12.01.18 जो अवैधानिक होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पक्ष में किया गया विक्रय भी लिस–पेन्डन्सी एवं सैल नल एण्ड वोईड होकर बिना अधिकार के है और ऐसे विक्रय पत्र से खोला गया नामान्तकरण भी अवैधानिक है। कानूनन विचारण के दौरान ही द्वितीय विक्रय पत्र लिस–पेन्डन्सी एवं एबइनिसियोवाईड है। जिसे खरीददार को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है। विक्रेता एवं क्रेता के हक व अधिकार को अन्य न्यायालय में चेलेन्ज कर रखा है। तो ऐसी सुरत में उसी जमीन को फिर से बिना किसी हक व अधिकार के अन्य व्यक्ति को बेचना या बेचे गये विक्रय पत्र के आधार पर कोई म्यूटेशन राजस्व रेकार्ड में खोलना अपने आप में ही अपराध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 795 दिनांक 04.01.10 एवं 894 दिनांक 12.01.18 को निरस्त किया जाकर पूर्वानुसार भूमि खाते में दर्ज कराये जाने एवं अपीलान्ट के नामों का राजस्व रेकार्ड में मौरूसी कृषि भूमि होने से उनके नाम का म्यूटेशन या नामान्तकरण के आदेश प्रदान कराये जावे।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि में 795 दिनांक 04.01.10 दाखिला का इन्द्राज दुरस्ती मय अन्य धाराओ में उप जिला कलक्टर गिर्वा में विचाराधीन प्रकरण होने से एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 के द्वारा मौके पर आकर पूर्व में खरीदने की दावेदारी दिनांक 05.07.18 को करने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा राजस्व रेकार्ड में पता किया गया जिससे उक्त प्रकरण की जानकारी म्यूटेशन 894 दिनांक 12.01.18 को खुलने की प्रमाणित प्रति दिनांक 06.07.18, 30.07.18 को मिलने से हुई जिस पर अधिवक्ता से राय लेकर उक्त समय सीमा में अपील आप

न्यायालय में पेश की। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का युक्तियुक्ति व सद्भावनापूर्ण कारण होने से क्षम्य किया जाये।

इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3(क) सीपीसी बाबत देरी को क्षम्य करने बाबत प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.2 विमल कुमार की तलबी जरिये अखबार करवायी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रमिला की तामील उसके पति द्वारा लेने से मना कर दिया जिसे तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तामील उनकी पुत्रवधु द्वारा प्राप्त की गई। जिसे भी प्रकरण में तामील मानी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौजा पायडा में स्थित भूमि में अपीलान्टगण का कोई हक हित निहित नही है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में हुए वाद को छिपाकर आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई हैं। वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व विमल कुमार जैन द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 19.11.09 से हिम्मतराम जी से क्रय की। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थी का कोई अधिपत्य नहीं है। मात्र विक्रय की जा चुकी भूमि पुनः हडपने के लिए अपील प्रस्तुत की है। जबकि सिविल न्यायालय से अपीलार्थी को अपना हक हकूक तय करने के उपरान्त ही अपील पोषणीय है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन है। श्री हिम्मतराम जी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सा विक्रय किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी को सर्वप्रथम सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को चुनौति देनी चाहिए थी। क्रय भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 3 का ही स्वामित्व व आधिपत्य है। जिससे नामान्तकरण खारीज करने के अधिकार नहीं है। कदाचित हिम्मतराम जी द्वारा मिली भगत कर गलत कार्यवाही की है तो उसके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। परन्तु अपीलार्थी एवं हिम्मतराम ने मिलीभगत कर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील बेरून मयाद होने से खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। लिखित बहस के अनुसरण में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी एवं पैतृक है। जिसका रेकार्डेड बंटवाडा नहीं हुआ है। अपीलान्ट को अधिकार विरासत से वादग्रस्त भूमि के मिले हुए है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण में नाम दर्ज नहीं होने से दर्ज नहीं है। जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा एक घोषणा का एक दावा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा आराजी नं. 623, 624 कुल रकबा 0.1900 हे. में से रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को बिना अपीलार्थी के संज्ञान में 0.1000 हे. को विक्रय कर दी। जबकि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/3 हिस्सा ही बनता है। जिसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की गई है। वह विक्रय पत्र सैल नल एण्ड वोईड है। वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र दोनो ही अधीनस्थ न्ययालय से निर्णित नहीं हो जाते तब तक किसी भी रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त कृषि भूमि के समस्त हक अधिकार का अन्तरण एवं राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। यह विधि का विधान है एवं लीज पेन्डेन्सी के सिद्धान्त भी प्रभावित होते है। इसी दरमियान तहसीलदार गिर्वा रेस्पोडेन्ट सं. 5 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 के हक में म्यूटेशन सं. 894 दिनांक 12.01.18 को खोल दिया गया। जिसे हस्तगत प्रकरण में चुनौति दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.07.17 से अपीलार्थी की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कोट कैम्प भोईयो की पंचोली में खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट सं. 5 जो कि इस प्रकरण में पक्षकार था तथा नामान्तकरण खोलने की प्रक्रिया भी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है ऐसे में ये कैसे सम्भव है कि जब दो न्यायालय में ये नामान्तकरण विचाराधीन था तो रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने किस हैसियत से यह नामान्तकरण खोला अपने आप में ही विचारणीय बिन्दु है। स्पष्ट है अपने पद का दुरपयोग ही किया है उसे खोलना ही था तो दोनो पक्षो को विधि

अनुसार सुनना था जब कि नहीं सुना गया तो ऐसे प्रकरण में अपीलान्ट को अपील करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और ऐसे नामान्तकरण के विरूद्ध अपील में समय सीमा बाध्यकारी नहीं होती है। ऐसे बिना अपीलान्ट को सुने सरासर विधि विपरित नामान्तकरण खोला गया इसलिये इसे निरस्त किये जाने की आप न्यायालय से प्रार्थना है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा अपने जवाब में दुरभीसंधी होना बताया है परन्तु इस संबंध में आज दिन तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। मतलब स्पष्ट है कि वह जानते है कि विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है। क्योकि राजस्व हक व अधिकार घोषणा को तय करना वाद के क्षैत्राधिकार से मात्र राजस्व न्यायालय को ही है। किसी सिविल न्यायालय को नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जो विक्रय पत्र सम्पादित किया है उसमें किसी भी अपीलान्ट की सहमति या हस्ताक्षर नहीं है। राजस्व मण्डल का भी यह सिद्धान्त है कि पक्षकारो के मध्य यदि विवादित भूमि के संबंध में दावे विचाराधीन हो तो दावो के निर्णित होने तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित होनी चाहिए। ताकि पक्षकरो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं मुकदमों की संख्या नहीं बढे। रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा अपने पद का दुरपयोग किया है। मेरा यह निवेदन है कि नामान्तकरण की कार्यवाही कोई हित अथवा स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है नामान्तकरण की कार्यवाही में अधिकारो की घोषणा किया जाना भी संभव नहीं है। परन्तु विधि के जटिल प्रश्न विवादित हो और राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो तो फिर अपीलान्ट के पास इस अपील को आप न्यायालय में पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दोनो नामान्तकरण को खारीज किया जाना फरमावे। अपने बहस की ताईद में 2006(1)आरआटी पेज 633, 2004(1)आरआटी पेज 861, 2004(2)आरआटी पेज 1228 की नजीरे पेश की है।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीया का कोई आधिपत्य नहीं है। जिससे उसके हक अधिकार तय नहीं होते है। अपीलार्थीया द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में भी पेश किया हुआ है। जिसमें सभी पक्षकारानों के हक हकूक, साक्ष्य, सबूतो के आधार पर तय किये

जायेगें। रेस्पोडेन्ट द्वारा हिम्मतराम से भूमि जरिये पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गई है। ऐसी स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय में ही चुनौति देकर खारीज कराया जा सकता है। अपीलार्थीयां वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में खातेदार भी नहीं है, ना उनका स्वामित्व है। इसलिए उन्हे इस प्रकार की चुनौति देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत अपील भी मयाद बाहर है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय का मत है कि चूंकि उन्हे सर्वप्रथम ज्ञान होने पर उनके द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण की प्रतियां प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उनके प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायालय न्यायसंगत मानता है। अतः अपीलार्थीगण का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निर्णय मेरिट पर किया जाता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं प्रार्थनापत्र की छायाप्रतियों के अवलोकन से साबित होता है कि अपीलार्थीगणों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में वाद घोषणा बंटवाडा एवं अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है। प्रस्तुत वाद के प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण 2 व 3 को भी पक्षकार संयोजित किया गया है।

अपीलार्थीगण सं. 1 व 2 जो कि हिम्मतराम की बहन होकर स्वर्गीय हीरालाल जी की पुत्रियां है जिनके द्वारा स्व.हिरालाल जी की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तकरण में नाम दर्ज नहीं होने की आपत्ति बाबत अपील प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत प्रकरण में हिम्मतराम जी द्वारा विक्रय की गई भूमि के संबंध में खोले गये नामान्तकरण के संबंध में

आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विक्रय की गई भूमि को मौरूसी होना बताया है, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है। जिस द्वितीय नामान्तकरण के संबंध में आपत्ति की गई है, वह भी रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 को जरिये रजिस्ट्री से बेची गई भूमि के संबंध में है। इसी भूमि के संबधं में घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में विचाराधीन है। विचाराधीन वाद में रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 भी पक्षकार है।

न्यायालय का मत है कि पक्षकारानों के मध्य उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद भी चल रहा है। उक्त वाद में खोले गये नामान्तकरण दिनांक को किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं थी, जहां पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है, जिसमें यह बिन्दु तय किया जाना है कि कितना हिस्सा किसका रहेगा। विचाराधीन वाद में कानूनी पहलू पर विचारण होकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर अन्तिम रूप से निर्णय होगा। नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है तथा फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसमें अधिकारों व स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है। अधिकार व स्वत्व का निर्धारण तो विस्तृत विचारण उपरान्त दावे में ही किया जायेगा, दावे में जो निर्णय होगा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया जायेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय नामान्तकरण के संबंध में अलग से कोई आदेश जारी किया जाना हम कोई औचित्य नहीं समझते है, क्योकि अपीलीय नामान्तकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खोले गये है, जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से खारीज नही हो जाते है, तब तक अपीलीय नामान्तकरणों पर किसी प्रकार का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 12:04:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: